न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 52/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/85**
दायर दिनांक :– 23.05.2024 **निर्णय दिनांक :– 07.01.2026**

01. अब्दुल हकीम पुत्र हमल खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
02. हसण खां पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
03. हासम पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01. नूरदीन पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
02. मो. शरीफ पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
03. हजूर खां पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
04. नबीबक्स पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
05. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सिकन्दर खान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. प्रति.सं. 1 ता 4
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वजों का एवं सेटलमेंट के बाद में वादीगण का स्वतंत्र कब्जा व काश्त चला आ रहा है जिस पर वादीगण की पक्की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बनाये हुवे है जिसमें वादीगण बारह ही मास अपने–अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग लेते आ रहे है। खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर भूमि वादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त भूमि है जिस पर वादीगण का वर्षो से स्वतंत्र कब्जा व काश्त है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी दखल अंदाजी नहीं किया है। वादीगण के पूर्वजों के अनपढ होने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता सरादीन कर्ताखानदान होने के कारण खसरा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर अपने नाम दर्ज करवा दिया गया जबकि उक्त भूमि पर कभी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता सरादीन का कब्जा व काश्त नहीं रहा था और न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का उक्त भूमि पर कब्जा कातश आज दिन तक रहा। वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता सरादीन द्वारा उपर वर्णित उक्त खसरे के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा देने से वादीगण के पूर्वजों द्वारा समाज के मोजीज लोगो से करवाई गई समाज की पंचायती में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथा उनके परिवार द्वारा यह भूमि पुनः वादीगण के नाम हस्तान्तरण करना स्वीकार कर लिया था तथा हमेशा यह विश्वास दिलाते रहे कि फला फला तिथि को यह भूमि पुनः वादीगण के नाम दर्ज करवा देगें। इसी विश्वास में समय बीत गया परन्तु वर्तमान जमीनों के भाव बढने से एवं पूर्वजों के चले जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मन में अब बदयान्ति व्याप्त हो गई है और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने से इंकार हो गये। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चलला आने से कब्जा मुखालफाना (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर भी वादीगण को स्वतः ही खतोदारी अधिकार प्राप्त हो गये इसलिये वादीगण उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन रजिस्टर्ड डाक से तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की और अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोलकीं ने वकालतनामा व जवाब दावा मय काण्उटर क्लेम पेश किया गया जिसमें प्रतिवादीगण ने बताया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर मौजा नुरे की भुर्ज पर वक्त सेटलमेंट में ही सरादीन पुत्र बच्चे खां का कब्जा व काश्त था और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कब्जा व काश्त है। वादीगण ने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। जबकि कानूनन कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है लेकिन वर्तमान में उक्त वाद की आड में वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को उसी खरीदसुदा भूमि से बेदखल करने का उतारू है। जिसका उन्हे कोई कानूनन अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के प्ख में और वादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावें की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के उक्त भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो वादीगण स्वयं करे न किसी अन्य से करावें का आदेश जारी किया जावें। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

वाद पत्र एवं जवाब दावा तथा मजीद उजरात एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर विवाद्यक विरचित किये गये, तत्पश्चात् पत्रावली पक्षकारान के साक्ष्य में रखी गई। वकील वादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने उपरान्त भी गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादीगण बंद की

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 गवाह नहीं करवाना चाहते लिहाजा प्रतिवादीगण साक्ष्य बंद की जाती है। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने बताया की वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का सेटलमेंट से आज दिन तक कब्जा काश्त है। सेटलमेंट से आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से खातेदारी की घोषणा कराने स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर मौजा नुरे की भुर्ज पर वक्त सेटलमेंट में ही सरादीन पुत्र बच्चे खां का कब्जा व काश्त था और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कब्जा व काश्त है। वादीगण ने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। जबकि कानूनन कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है लेकिन वर्तमान में उक्त वाद की आड में वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को उसी खरीदसुदा भूमि से बेदखल करने का उतारू है। जिसका उन्हे कोई कानूनन अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में और वादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावें की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के उक्त भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो वादीगण स्वयं करे न किसी अन्य से करावें का आदेश जारी किया जावें। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जावे।

'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय–

(1) आर.आर.डी. 2016 पेज 464/चेनाराम और अन्य विरूद्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य–माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

(2) आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011– इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to advrse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

(3) आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018– इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के वाद के सबन्ध में माननीय राजस्व मण्डल का महत्वपूर्ण निर्णय–

(1) आर.आर.डी. 1991 पेज 426 शिव सहाय बनाम श्रीमती मथुरी के कायम मुकाम में राजस्व मण्डल ने धारा 188 आर.टी.एक्ट के मामले में निर्णय दिया है कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार काश्तकार के द्वारा ही लाया जा सकता है। (RT. ACT Sec. 188- A suit for perpetual injunction can be filed only by a tenant.)

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा माननीय न्यायालय के निर्णयों पर मनन किये जाने के बाद तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है।

तनकी संख्या 1 – आया वादीगण ग्राम नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ?

निर्णयः– तनकी संख्या 1 एक को साबित करने का जिम्मा वादीगण पर था, वादीगण ने अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से हक हिस्सा होना बताया। वक्त सेटजमेंट से वादीगण का कब्जा के साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज से साबित नहीं है। वादपत्र के संलग्न दस्तावेजों अनुसार वादीगण का वक्त सेटलमेंट से हक नहीं बनता है। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 2 – आया वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है ?

निर्णयः– तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्राप्त होने का कथन किया है। वादीगण ने वाद पत्र के संलग्न कब्जा होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 3 – आया वादीगण ग्राम नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की फरमाई जावे कि वादीगण के शांति पूर्वक कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें ?

निर्णयः– तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट बताया है कि वादग्रस्त भूमि पर अपने परिवार सहित निवास करते है और प्रत्येक वर्ष काश्त

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग लेते आ रहे है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं है। वादीगण खातेदार काश्तकार नहीं है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी का वाद खातेदार काश्तकार ही ला सकते है। तनकी संख्या 1 पहले से ही वादीगण के विरूद्ध निर्णीत हो चुकी है। वादीगण का वाद कब्जा के अभाव में साबित नहीं है। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। तनकी संख्या 3 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 4 – आया वादीगण ग्राम नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार नहीं है ?

तनकी संख्या 5 – आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का हकदार नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज की गई।

निर्णयः– तनकी संख्या 4 व 5 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 पर रखा गया था। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में सफल नहीं हुवे है। वादीगण का वाद वाद पत्र में अंकित कथनानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रेकर्ड है। तनकी संख्या 4 व 5 का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 6 – आया स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में रेकर्डेड खातेदार ही अनुतोष प्राप्त करने के हकदार होते है। वादीगण उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार नहीं है, इसलिये वादीगण का वाद काबिल खारिज के है ?

निर्णयः– तनकी संख्या 6 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 पर रखा गया था। वादीगण के द्वारा वाद के समर्थन जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है, उसमें वादीगण खातेदार अथवा सह खातेदार दर्ज अभिलेख नहीं हैं वादीगण धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का वाद बिना खातेदारी के गलत लाये है। वादीगण कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है। तनकी संख्या 6 का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 7 – दादरसी ?

निर्णयः– तनकी संख्या 7 का निर्णय चूंकि तनकी संख्या 1 ता 3 वादीगण के खातेदारी हकूको की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की तनकी वादीगण के विरूद्ध और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कियात्मक आदेश

वाद वादीगण दस्तावेजात के आधार पर साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। खेत खसरा संख्या 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर ग्राम नुरे की भुर्ज के बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में वादीगण किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करे न ही किसी अन्य से करवायें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते

Satya...

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

01. अब्दुल हकीम पुत्र हमल खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
02. हसण खां पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
03. हासम पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01. नूरदीन पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
02. मो. शरीफ पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
03. हजूर खां पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
04. नबीबक्स पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
05. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 52/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर सिकन्दर खान मिनजानिब मुदई व राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण वाद पत्र के संलग्न साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। खेत खसरा संख्या 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर ग्राम नुरे की भुर्ज के बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में वादीगण किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करे न ही किसी अन्य से करवायें। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.01.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर ★ सत्यमेव जयते ★ बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।